

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम

दिनांक आदि कारवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/18	<p>पत्रावली पेशा ईई! उमयपक्ष उपस्थित।                      प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मुलावाद में दिनांक                      29/8/2008 को आपसी सहमति के                      आधार पर प्रारम्भिक डिक्री की जा चुकी                      है। तथा महसूलपार वस्सी को महसूल                      पारी की जा चुकी है तथा महसूलपार वस्सी                      से नुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में                      शामिल है। / मुलावाद में शामिल है। उंच                      प्रार्थना पत्र में आज दिनांक तक जवाब पेश                      नहीं हुआ है। चूंकि मुलावाद आपसी सहमति                      के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका                      है। और जवाब प्रार्थना पत्र आज दिनांक                      तक पेश नहीं किया हुआ है। इसी स्थिति में                      प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना न्यायोचित                      प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आपसी                      सहमति के आधार पर वाद प्रारम्भिक डिक्री                      किये जाने के जलस्वरूप प्रार्थना पत्र को                      मुलावातुल पर विवेचन किये जाने न्यायालय                      द्वारा कि आदेशिका दिनांक 8-9-2005                      में अधिक संशोधन कर उमयपक्षी को                      मुलावाद के निस्तारण तक वाद बाला अराजी</p>	